pleaders where Signature of Parties of

अभियोग STOP PERSONAN STO के 63 हारा थान प्रमारी का आर कि अर्थ कि विकन्न विकन्न अभियोग मिर्किक्ष उपिनिरीक्षक / सहायक ने केन्य सास्त्र ने अप्तारक्षक ज्या संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण पत्र प्रस्तुत किया गया। आरक्षी (ज्यानिरीक्षक, प्रधान आज

ए०डी०फ्: उओ०

द्वारा

साज्य

प्रत्तेत अधिववता अभियुक्त / अभियुक्तमण हिनेडम् ८० टाम्पेडकाइन् फारुका सम्मास्ति मिवासी / निवासीमण हिनेडम् ८० राज्य मुक्तप्र थाना मालाम् १६ उपरिथत । अभियुक्त / अभियुक्तमण की ओर से अधिक मेमोरेण्डम/वकालतनामा श्री....

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

FIRE भयुक्त / अभियुक्तागण क कि विरुद्ध अभ्योत के अधीन कार्यवाही किये जाने के गर प्रकट हो रहे हैं। अन अभियुक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध सार प्रकट हो रहे हैं। अन अभियुक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध सार -(1) द०प्र०स० के अधीन नड़ान नियं जाने के अभियुक्त का आदेश किया जाता है दुष्टया अभियोग HIM Scollin प्रथम गया। अवलोकन से विचार किया がいた SEE SEE प्रकरण में संज्ञान के विषय पर रेवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरणः का गंजितान भियुक्त / अभियुक्तमण /परिवाद ट्राव

THE PARTY PRINTER गारा २०१ के अधीन प्राप्ताना : ... अभियुक्ता/अभियुक्तार देठ प्रथा काश में अभियोग पत्र गह अस्त

IN THE C MARU TRIAL UN विहित स्वामी राजसात स्थित साधारण व्यतिकम र निमित गया न्यायालय पावती 4199 क्र 95 उसके अपराध विचारण 4 स्तपये पंजीबद्ध कर हरी 是长 प्रथक वाहन अपालाय 15 करते यश प्रदान अध संक्षिप आवश्यक 不 सिद्ध किर Gohad दशा क पंजी नीय Judicial है। अत अत अर्थदा अभियुक्त शारा देप के जाधीन अपराध की विशिष व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में जाता है तथा अपील की दशा में मान आदेशों का पालन हो। प्रकरण का परिणाम आपराधिक अत्तः अधीन अभियुक्तम् अन्त्र हेत् मुद्रा तव अभिलेखागार प्रेषित किया जाये। संपति डि.ट. किया गया। समझाये रखते स्ता संचयन विचारणीय स्तीकार किया। की अवधि के दण्ड से दणिडत किया गर अभियुक्त, नि:शुल्क प्रति कराकर हरताक्षिति, दिनांकित, अभियुक्त को जेक्त अपराध के रसीद अगि पुवत / अगियुवतगणि वित को ध्यान में रख रुपय गया। संपत्ति..... 15 अर् जावे। आभियुक्त शब्दों में लेखवद्ध कियां अभियुक्त संक्रिय अभियुष्तगण अगिमेलेख निक्ष अप्राह्म सुनाये गया। भुगताया निर्णय की स्तेच्छया जपसुदा 午 मामला प्रकरण में भें अर्म 本 अवसान तक स्तीकारोक्ति को पढ़कर फे अर्थदण्ड जायं। आधिनियम दशा िरेणियानुस्तार कारावास करना किया , आभियुवन अवधि पुनरचः 400

Wame and address of the